प्रेस वज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक 19.08.2026

फर्जी सर्टि फकेट बनाने वाले अन्तर्राज्यीय ठग गरोह द्वारा कूटर चत तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्टि फकेट बनवाकर पैसे लेकर च कत्सा स्नातक (एमबीबीएस) में दा खला कराने के अपराध में शा मल एक अंतर्जनपदीय वांछित अ भयुक्त को जनपद बहराइच से गरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 20.09.2025 को थाना ज्ञानपुर पर शकायकर्ता शाहिद अली पुत्र दानिश खां निवासी गोरी खमरिया थाना औराई जनपद भदोही के द्वारा पत्र संख्या में 3/छात्रा सेल/2025/1984 लखनऊ दिनांक 27.08.2025 के क्रम में प्रार्थना पत्र दिया गया क राजकीय/स्वशासी राज्य च कत्सा महा वद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आ श्रत/उपआ श्रत श्रेणी के अभ्य र्थयों द्वारा प्रस्तुत कया गया स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र संदिग्ध एवं कूटर चत प्रतीत होता है। थाना ज्ञानपुर पर स्वतंत्रता सेनानी के अस्तित्व का प्रमाण पत्र कूटर चत होने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अ भयोग पंजीकृत कर अन्तर्राज्यीय ठग गरोह के सदस्य अ भयुक्त शुभम संह पुत्र र वंद्रप्रताप संह निवासी जिगना पूर्वकोर्ट थाना जिगना जनपद मर्जापुर उम्र करीब 27 वर्ष को गरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उ0नि0 श्री रमेश कुमार की ववेचनात्मक कार्यवाही में फर्जी सर्टि फकेट प्राप्त करने वाले वद्या र्थयों के परिजनों से पूछताछ के क्रम में अन्तर्राज्यीय ठग गरोह के सरगना अ भयुक्त संजय दुबे पुत्र शवदत्त दुबे निवासी जासा थाना वंध्याचल जनपद मीरजापुर उम्र करीब 48 वर्ष का नाम प्रकाश में आने पर गरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अन्य वांछितों के वरुद्ध ववेचना प्रच लत थी।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के निर्देशन एवं *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में कूटर चत तरीके व जालसाजी संब धत घटनाओं के शीघ्र अनावरण एवं उसमें सं लप्त अपरा धयों की गरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में प्रभारी स्वाट टीम द्वाारा सूचना एवं इलेक्ट्रानिक स र्वलांस लोकेशन के आधार पर कूटर चत तरीके से च कत्सा स्नातक (एमबीबीएस) में पैसे के बल पर दा खला कराने वाला मु0अ0स0 223/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) BNS से बढ़ोत्तरी धारा 61(2) BNS थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से संब धत प्रकाश में आए अंतर्जनपदीय अ भयुक्त दिनेश कुमार वर्मा पुत्र मुन्नू राम वर्मा निवासी नौतला

थाना रामगांव जनपद बहराइच उम्र करीब 42 वर्ष को जनपद बहराइच के नंदा इंस्ट्यूट गेस्टहाउस ग्राम सोहरवा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों का संगठित गिरोह है जो फर्जी स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट बनाकर चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) की परीक्षा में चयनित कर दिया गया है एवं इनके द्वारा बनाए गए फर्जी स्वतंत्रता सेनानी सर्टिफिकेट का प्रयोग कराकर विभिन्न सरकारी नौकरियों में भर्ती कराया जाता है। पूर्व में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट बनाकर पुलिस के पद पर सीधी भर्ती 2023 में चयनित कर दिया गया था। जिसमें भदोही पुलिस द्वारा अभियुक्त सहित गिरोह के 07 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 223/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) BNS से बढोत्तरी धारा 61(2) BNS थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।

* गिरफ़्तार अंतर्जनपदीय अभियुक्त का नाम व पता:-*

1.दिनेश कुमार वर्मा पुत्र मुन्नू राम वर्मा निवासी नौतला थाना रामगांव जनपद बहराइच उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद लैपटाप(dell कम्पनी),03 अदद मोबाइल(itel,vivo, motorola कम्पनी),

* गिरफ्तारी करने वाली टीम:-*

उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय प्रभारी स्वाट/सर्विलांस सेल, हे0कां0 बृजेश सिंह , का0 दीपक कुमार यादव, का0 सुनील पाल,का0 हिमांशु सिंह सर्विलांस/स्वाट टीम।